

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आअदालत उपरवण्ड इन्डियानी मुकाम तारानगर
नेताम बनाम तहसीलदार तारानगर
 किस्म मुकदमा (दाख) 08 R.Aet 1955 नं. 27 सन् 2018
136 C.R.Aet 1956 Case# 2018/00025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
15/18	<p>कार्य (जाफ़) नेताम पुत्र जनिष शम जाति जाट निवासी ढाणीमाना तहसील तारानगर ने यह वाद पत्र अत्रगत च्या 08 R.Aet 1955 तथा च्या 136 C.R.Aet 1956 के अन्तर्गत पुत्र किया वाद पत्र दर्ज कि किया जाये। वादी ने वाद पत्र के अन्तर्गत किया कि काम रैयाडुण्ड की जमाबन्दी संवत् 2070-73 खाता सं. 113 में अकलाल इस्तिर है जकी मेरा वास्तविक नाम अरतलाल है काम ढाणीमाना की जमाबन्दी संवत् 2072-75 के खाता सं. 73 में मेरा सही नाम अरतलाल इस्तिर है। अतः रैयाडुण्ड की जमाबन्दी में अकलाल की जगह अरतलाल को की हवा करे। पत्रावली का इन्वेन्टरी किया तथा सेलून इस्ताबेजात नाम जमाबन्दी संवत् 2072-75, आद्या कार्ड आद्या सं. 6698 6886090 की हवा प्रति पत्र की। पत्रावली हक्का नं. 9/CR</p>	


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही विवरण

नम्बर व
अहकाम का
हुक्म की तामील
जारी हुक्म

की इमिग्रेशन का रिकवर्शन किया
जिसमें कारी (पार्स) द्वारा प्रस्तुत
वाद की सुली होती है।

अतः तहसीलदार तारानगर
की इमिग्रेशन के अनुसार शही
गाम रियासत जमाबन्दी सन् 2070-
73 से खाता सं. 113 के वर्तमान रज
प्रिविली (इड्ड प्रिविली) अल्लाल
के स्थान पर शुद्ध प्रिविली अरत-
लाल राजसू त्वादी से रजिस्ट्रि
का आवेग तहसीलदार तारानगर
के नाम से जाती है। निजिय न्याय
आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र
बनियाला के सुनाया गया। पर
वली निजिय शुमार होकर दारिबल
इफ्तल है।


उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)